फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

	बनाम	
प्रकाशचंद्र		TDR झाड़ोल

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 217/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/25	वकील अपी. अनु. पीठासीन अधिकारी अन्य राज कार्य में होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/05/25 को पूर्वादेशानुसार पेश हो।	
28/05/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 31/01/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, झाड़ोल द्वारा प्रतिपेषित प्रकरण में भूमि किस्म नाला से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिनांक 20/11/2019 को यथावत रखा गया है। पैरोकार सरकार द्वारा बतलाया गया कि प्रस्तुत अपील के साथ अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपने समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा शुरू से ही दिनांक 29/07/2020 से लगातार अनुपस्थित भी चल रहे हैं। मामले में स्पष्टतः भूमि किस्म नाला पर राज० काश्तकारी अधिनियम - 1955 की धारा -16 अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं	Murli Advocate

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	होने से भी अपील निरस्तनीय है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में जिला कलक्टर, उदयपुर के विधि की मंशानुरूप खातेदारी निषिद्ध भूमि - किस्म नाला पर अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय दिनांक 31-01-2020 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः प्रकरण अपीलान्ट द्वारा पैरवी के अभाव में गुणावगुण पर निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 28/05/2025 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		

Scanned with OKEN Scanner